न्यायालय – सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटकासिम

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती तमन्ना कौशिक़ (आर.जे.एस)

आपराधिक मूल प्रकरण संख्या –23/120/2018

राजस्थान राज्य

बनाम

1. अभयसिंह पुत्र चन्दराम, उम्र 56 साल, निवासी कोटकासिम, थाना कोटकासिम, जिला अलवर
2. मनोज कुमार पुत्र जयभगवान, उम्र 33 साल, निवासी आलमपुर, थाना कोटकासिम जिला अलवर।

–अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा.द.सं. एवं 146/192 एमवी एक्ट

उपस्थिति :–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री समय सिंह, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त संख्या 1 की ओर से।
3. श्री समीर चौधरी, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त संख्या 2 की ओर से।

–:: निर्णय ::– दिनांक–11.06.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हस्तगत प्रकरण के परिवादी सूरतसिंह ने थाना कोटकासिम में उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 21.04.2018 को सुबह लगभग 9 बजे उसकी पत्नी चम्पा देवी अपने घर के लिये पानी का मटका लेकर आ रही तभी बीरनवास चौकी की तरफ से मोटरसाइकिल रजि0 नंबर आर.जे 40 एस.बी. 3483 का ड्राईवर अभयसिंह ग्राम कोटकासिम जो शराब के नशे में था और तेज स्पीड लापरवाही से मोटरसाइकिल से चम्पा देवी को टक्कर मारी जिससे चम्पा देवी रोड पर गिर गई और सिर में गंभीर चोट आई। उसके बाद ड्राईवर मोटरसाइकिल छोडकर भाग गया। चम्पा देवी के परिजनो ने व ग्रामवासियो ने रेवाडी हरियाणा पायलेट चौक पुष्पांजली अस्पताल में भर्ती करा दिया। उसके बाद ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई.....इत्यादि। उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 109/18 धारा 279, 304ए भा.द.सं. में कायम कर तफतीश शुरू की गई। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण अभयसिंह के विरूद्ध अपराध

अंतर्गत धारा 279, 304ए भा.द.सं. एवं अभियुक्त मनोज कुमार के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 146/192 एम.वी. एक्ट बनना पाये जाने पर यह आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिसके पश्चात न्यायालय में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियुक्त अभयसिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.द.सं. एवं अभियुक्त मनोज कुमार को अपराध अंतर्गत धारा 146/192 एमवी एक्ट के तहत आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अन्वीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित गवाह परिक्षित कराये गये है :–

क्रम संख्या	गवाहान का नाम	विवरण
पीडब्ल्यू–1	सूरतसिंह	तहरीरी रिपोर्ट, चाकशुदा एफआईआर, फर्द पंचनामा, लाश सुपुर्दगी, पुलिस बयान
पीडब्ल्यू–2	जगराम	धारा 161 सीआरपीसी के बयान
पीडब्ल्यू–3	पवन कुमार	नक्शामौका
पीडब्ल्यू–4	कमलसिंह	फर्द पंचायतनामा
पीडब्ल्यू–5	जयपाल	फर्द पंचायतनामा
पीडब्ल्यू–6	दिलीप सिंह	पंचायतनामा
पीडब्ल्यू–7	जीतराम	पंचायतनामा
पीडब्ल्यू–8	डॉ. मनोज सैनी	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
पीडब्ल्यू–9	जलसिंह	फर्द पंचनामा
पीडब्ल्यू–10	ज्ञानप्रकाश	मैकेनिक मुआयना

4. अन्वीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित सुसंगत दस्तावेजात पेश किये है :–

क्रम संख्या	दस्तावेज का विवरण
प्रदर्श पी 1	तहरीरी रिपोर्ट
प्रदर्श पी 2	चाकशुदा एफआईआर
प्रदर्श पी 3	फर्द पंचायतनामा

प्रदर्श पी 4	पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लाश सुपुर्दगी
प्रदर्श पी 5	नक्शामौका
प्रदर्श पी 6	धारा 161 सीआरपीसी के बयान
प्रदर्श पी 8	मैकेनिक मुआयना रिपोर्ट

5. अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. लिए गए तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को अस्वीकार किया एवं स्वयं को निर्दोष होना व झूंठा फंसाया जाना जाहिर किया। सफाई साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा। जिस पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

6. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न है कि –

1– आया अभियुक्त अभय सिंह ने दिनांक 21.04.2018 को सुबह 9.00 बजे ग्राम मतलवास से बीरनवास जाने वाले रास्ते पर मोटरसाइकिल नंबर आरजे 40 एसबी 3483 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर चम्पा देवी को टक्कर मारी जिस दुर्घटना से चम्पा देवी की मृत्यु कारित हुई एवं अभियुक्त मनोज कुमार ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन का इंश्योरेंस कराए बिना वाहन को चलाने के लिए दिया ?

2– यदि हां, तो अभियुक्तगण किस दण्ड के पात्र होंगे?

7. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करे तो प्रकरण के परिवादी पीडब्ल्यू–1 सूरतसिंह मुख्य परिक्षण में कथन करता है कि दिनांक 21.04.2018 को सुबह करीब 9 बजे की बात है। उसके घर के बाहर सामने उसकी पत्नी चंपादेवी पानी लेकर आ रही थी। पीछे से बाईक आरजे 40 एचआर 1483 डीलक्स का चालक अभयसिंह ने बाईक से उसकी पत्नी को टक्कर मार दी। बाईक चालक अपनी साइड में बाईक चला रहा था। पीछे से आकर उसने कच्चे में चलते हुए उसकी पत्नी के टक्कर मारी। जब उन्होने उसकी पत्नी को संभाला तो वो बेहोश थी। उसे पुश्पांजली अस्पताल रेवाडी लेकर गए। वहां डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा। वहां उसको भर्ती कर लिया व अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2, फर्द पंचनामा प्रदर्श पी 3, लाश सुपुर्दगी प्रदर्श पी 4 व

नक्शामौका प्रदर्श पी 5 पर उसके हस्ताक्षर है। जिसके पश्चात परिवादी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। गवाह 3483 बाईक के नंबर होना सही बताता है। उक्त गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी 1 पर दिनांक अंकित नहीं है और प्रदर्श पी 1 में उसने अपनी उपस्थिति कही नहीं बताई है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 5 में पुलिस ने उसका घर नहीं दर्शाया है। मौके पर अभयसिंह को नहीं पकडा था, वह गाडी छोडकर भाग गया था। मोटरसाइकिल अभयसिंह की नहीं थी।

8. गवाह पीडब्ल्यू–2 जगराम मुख्य परिक्षण में कथन करता है कि दिनांक 21.04.18 को करीब सुबह 9 बजे की बात है। उस समय वह घर पर था। उसकी मम्मी चंपा देवी पानी का मटका लेकर घर आ रही थी तभी उसके पीछे से अभयसिंह मोटरसाइकिल नंबर आरजे 40 एसबी 3483 को चलाता हुआ आया और पीछे से उसकी मम्मी के टक्कर मार दी जो मोटरसाइकिल को लहराते हुए चला रहा था। उसने अपनी मम्मी को संभाला आसपास के अन्य लोग भी आ गए। वह अपनी मम्मी को पुश्पांजली अस्पताल रेवाडी लेकर गए जहां ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। एक्सीडेंट चालक की गलती व लापरवाही से हुआ था। उक्त गवाह जिरह में कथन करता है कि मोटरसाइकिल को लहराते आता देख उसने करीब 20–30 मीटर दूर से देख लिया था। वहां मौके पर विक्रम, रमेश जिसके घर के सामने एक्सीडेंट हुआ था, हरीश व अन्य गांव के दो तीन औरते जिनका नाम उसे नहीं पता मौजूद थे। सूरतसिंह उसका पिता है। उसके पापा दो तीन सैंकेड बाद ही पहुंचे थे।

9. गवाह पीडब्ल्यू–3 पवन कुमार मुख्य परिक्षण में कथन करता है कि दिनांक 21.04.18 को समय करीब 9 एएम पर उसे बाहर रोड पर आवाज सुनाई दी तो वह गया और देखा कि चंपा देवी का एक्सीडेंट हुआ जो रोड पर पडी हुई थी। चंपा देवी का एक्सीडेंट बाईक नंबर आरजे 40 एसबी 3483 से हुआ था जिसको अभयसिंह तेज गति व लापरवाही से चला रहा था। वह चंपा देवी को उठाकर रेवाडी में पुष्पांजलि अस्पताल ले गए जहां ईलाज के दौरान दिनांक 22.04.2018 को चंपा देवी की मृत्यु हो गई। उक्त गवाह जिरह में कथन करता है कि वह घटना के करीब पांच मिनट बाद पहुंचा था। एक्सीडेंट जिसने किया था, वह जब पहुंचा जब भाग रहा था। सूरतसिंह ने अभयसिंह का नाम उसे बताया था। जब वह पहुंचा था तब एक्सीडेंट हो गया था। यह कहना सही है कि उसने मोटरसाइकिल को चलते हुए नहीं देखा।

10. इसके अतिरिक्त अन्य गवाहान पीडब्ल्यू–4 कमलसिंह, पीडब्ल्यू–5 जयपाल, पीडब्ल्यू–6 दिलीप सिंह, पीडब्ल्यू–7 जीतराम व पीडब्लयू–9 जलसिंह अपने बयानों में मृतक चम्पा देवी के फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 3 पर स्वयं के हस्ताक्षर होने एवं अन्य गवाह पीडब्ल्यू–10 ज्ञानप्रकाश अपने बयानों में जब्त वाहन का मैकेनिक मुआयना प्रदर्श पी 10 पर स्वयं के हस्ताक्षर व स्वयं की राय होने बाबत कथन करते है। अतः उपरोक्त गवाहान औपचारिक गवाहान है।

11. गवाह पीडब्ल्यू–8 डॉ0 मनोज सैनी मुख्य परिक्षण में कथन करता है कि दिनांक 22.04.2018 को उसने थाना कौटकासिम के पंचायतनामा पर मृतक चंपा देवी के शव का शव परीक्षण किया था। पुलिस द्वारा दी गई सूचना के आधार पर सडक दुर्घटना से मृतका की मृत्यु हुई थी। सर के बाल कटे हुए थे। सिर के बाए कान से लेकर दाए कान तक सीला हुआ घाव था जो कि ऑपरेशन द्वारा कारित था। सर में बाई तरफ कनपटी एव मध्य की हडडी टूटी हुई थी। यहा भी खून जमा हुआ था। बाई तरफ के माथे की हडडी में भी फैक्चर था। बाई आंख के चारो तरफ सूजन एवं नीली पडी हुई थी। उसकी राय में मृतका की मृत्यु सर में आई चोटो के कारण कोमा में जाने के कारण हुई थी जो कि मृत्यु कारित होने के लिए पर्याप्त थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 है जिस पर ए से बी उसकी राय व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि अगर कोई व्यक्ति उंचाई से सिर के बल गिरे तो उक्त चोटे आ सकने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

12. इस प्रकार पत्रावली पर आई समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन विश्लेषण के पश्चात् न्यायालय का मत यह है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि क्या अभियुक्त अभय सिंह ने दिनांक 21.04.2018 को सुबह 9.00 बजे ग्राम मतलवास से बीरनवास जाने वाले रास्ते पर मोटरसाइकिल नंबर आरजे 40 एसबी 3483 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर चम्पा देवी को टक्कर मारी जिस दुर्घटना से चम्पा देवी की मृत्यु कारित हुई ? उक्त संदर्भ में हस्तगत प्रकरण का परिवादी पीडब्ल्यू–1 सूरतसिंह अपने बयानों में कथन करता है कि दिनांक 21.04. 2018 को सुबह करीब 9 बजे की घटना है। मोटरसाइकिल नंबर आरजे 40 3483 का चालक अभयसिंह ने बाईक से उसकी पत्नी को टक्कर मार दी। स्वयं परिवादी कथन करता है कि बाईक चालक अपनी साइड में बाईक चला रहा था। उक्त संदर्भ

में मौके का अन्य गवाह पीडब्ल्यू–2 जगराम जहां अपने बयानों में दिनांक 21.04.18 को सुबह 9 बजे मोटरसाइकिल नंबर आरजे 40 एसबी 3483 को अभयसिंह द्वारा चलाकर उसकी मम्मी के टक्कर मारने बाबत कथन करता है, वहीं जिरह में कथन करता है कि मोटरसाइकिल को लहराते आता उसने करीब 20–30 मीटर दूर से देख लिया था। अतः उक्त गवाहान के बयानों के परिप्रेक्ष्य में नक्शामौका प्रदर्श पी 5 का अवलोकन करे तो उक्त नक्शेमौके में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं हो रहा है कि मोटरसाइकिल चालक द्वारा मोटरसाइकिल को तेज गति व लापरवाही से चलाया जा रहा हो। उक्त संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत ''रवि कपूर बनाम राजस्थान राज्य (2012) 9 एससीसी 284 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 304ए (या भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धारा) के तहत किसी आरोप को दोषसिद्ध करने के लिए केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि कृत्य 'उतावलेपन और लापरवाही' से किया गया था। उतावलेपन और लापरवाही कानूनी निष्कर्ष हैं, जिन्हें ठोस तथ्यों द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है। उतावलेपन से तात्पर्य एक ऐसे कृत्य से है, जहां कर्ता परिणाम को जानते हुए जोखिम लेता है और लापरवाही से तात्पर्य उचित सतर्कता और सावधानी बरतने में पूर्ण विफलता से है। प्रस्तुत मामले में, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि आरोपी ने ऐसा कौन सा विशिष्ट कृत्य किया जो एक सामान्य और सतर्क चालक की श्रेणी से बाहर था''। उक्त परिप्रेक्ष्य में धारा 279, 304ए भा.द.सं. के अपराध के परिप्रेक्ष्य में मात्र मुलजिम की पहचान करना आवश्यक नहीं है बल्कि यह भी साबित करना आवश्यक था कि वरवक्त घटना मुलजिम अभयसिंह द्वारा तथाकथित मोटरसाइकिल तेज गति व लापरवाही से चलाई जा रही हो जिसके परिणामस्वरूप ही चम्पा देवी की मृत्यु कारित हुई हो। ऐसे में स्वयं परिवादी पीड–1 सूरतसिंह कथन करता है कि मुलजिम अभयसिंह सही दिशा से आ रहा था और मौके का गवाह पीड–2 जगराम कथन करता है कि उसने मोटरसाइकिल को करीब 20–30 मीटर दूर से लहराता हुआ देखा था। इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यू–3 पवन कुमार अपने बयानों में कथन करता है कि वह घटना के करीब पांच मिनट बाद पहुंचा था। सूरतसिंह ने अभयसिंह का नाम उसे बताया था। जब वह पहुंचा था तब एक्सीडेंट हो गया था और उसने मोटरसाइकिल को चलते हुए नहीं देखा।

13. अतः पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से मृतक चम्पा देवी की मृत्यु दुर्घटना के फलस्वरूप होना तो प्रकट होता है, परन्तु प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान सूरतसिंह, जगराम ने अपने बयानों में वक्त घटना प्रकरण में दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक के रूप में अभियुक्त अभयसिंह की पहचान अपने बयानों में की है, परन्तु अभियुक्त अभयसिंह वरवक्त घटना मोटरसाइकिल को तेज गति व लापरवाही से चला रहा हो, यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहे है। दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। प्रकरण में घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के अभाव में वक्त दुर्घटना दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को अभियुक्त अभयसिंह तेज गति व लापरवाही से चला रहा हो, इस बाबत कोई भी तथ्य स्पष्ट तौर पर सिद्ध नहीं हुआ है।

14. इसके अतिरिक्त मुलजिम मनोज कुमार के विरूद्ध अंतर्गत धारा 146/196 एमवी एक्ट के अंतर्गत अपराध प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि दिनांक 21.04.2018 को अभियुक्त मनोज द्वारा अपने वाहन मोटरसाइकिल नंबर आरजे 40 एसबी 3483 का बिना इंश्योरेंस कराये अभियुक्त अभयसिंह को चलाने के लिए दिया ? उक्त तथ्यों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा हस्तगत प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को बतौर गवाह न्यायालय के समक्ष परिक्षित नहीं कराया है तथा वाहन चालक व वाहन मालिक को धारा 133 व 134 एमवी एक्ट का नोटिस को प्रदर्शित नहीं होने के कारण उक्त नोटिस साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। ऐसे में अभियोजन पक्ष अपने दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित करने में असफल रहा है कि मुलजिम अभयसिंह द्वारा वक्त घटना बिना लाईसेंस व बिना बीमा प्रमाण पत्र के वाहन चलाया जा रहा हो जिससे आर0सी0 की शर्तों का उल्लंघन हुआ होना हो।

15. अतः अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि अभियुक्त अभय सिंह ने दिनांक 21.04.2018 को सुबह 9.00 बजे मोटरसाइकिल नंबर आरजे 40 एसबी 3483 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर चम्पा देवी को टक्कर मारी जिस दुर्घटना से चम्पा देवी की मृत्यु कारित हुई हो एवं अभियुक्त मनोज कुमार ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन का इंश्योरेंस कराए बिना वाहन को चलाने के लिए दिया हो। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त अभयसिंह के विरूद्ध धारा

279, 304ए भा.द.स का आरोप एवं अभियुक्त मनोज कुमार के विरूद्ध धारा 146/192 एमवी एक्ट का आरोप साबित करने में असफल रहा है। लिहाजा अभियुक्त अभयसिंह को अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा.द.स. एवं अभियुक्त मनोज कुमार को अपराध अंतर्गत धारा 146/192 एमवी एक्ट के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

16. अभियुक्तगण 1. अभयसिंह पुत्र चन्दराम, उम्र 56 साल, निवासी कोटकासिम, थाना कोटकासिम, जिला अलवर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा.द. सं. में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। साथ ही अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र जयभगवान, उम्र 33 साल, निवासी आलमपुर, थाना कोटकासिम जिला अलवर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 146/192 एमवी एक्ट में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् जमानत एवं मुचलके निरस्त किए जाते है। अभियुक्तगण के धारा 437–ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत किए गए जमानत एवं मुचलके निर्णय की दिनांक से छह माह के लिए प्रभावी रहेगे। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन का बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

(तमन्ना कौशिक)
न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटकासिम

17. निर्णय आज दिनांक 11.06.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर विवृत्त न्यायालय में उदघोषित किया गया ।

(तमन्ना कौशिक)
न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटकासिम